

फा.सं. सीबीईसी-20/16/04/2018 - जीएसटी
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
जीएसटी पॉलिसी विंग

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2019

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त / प्रधान महानिदेशक / मुख्य आयुक्त / महानिदेशक (सभी) / प्रधान आयुक्त / आयुक्त केंद्रीय कर (सभी)

महोदया / महोदय,

विषय: सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पूर्व में जारी परिपत्रों में परिवर्तन -

सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018, संबंधित राज्यों के एसजीएसटी संशोधन अधिनियम, आईजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018, यूटीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 और जीएसटी (राज्यों के लिए मुआवजा) (संशोधन) अधिनियम, 2018 (इसके बाद जीएसटी संशोधन अधिनियमों से संदर्भित किया गया है) दिनांक 01.02.2019 से प्रभावी हुए हैं।

2. जीएसटी संशोधन अधिनियमों के परिणामस्वरूप, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पहले जारी किए गए परिपत्रों में संशोधन किया गया है और यह संशोधन 01.02.2019 से प्रभावी होगा, विस्तृत विवरण अगले पैराग्राफ में दिए गए हैं।

3. परिपत्र संख्या 8/8/2017 दिनांक 04.10.2017

आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (6), में किए गए संशोधन को ध्यान में रखते हुए आईजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 2 के तहत जहां भी RBI की अनुमति है, आय की वसूली भारतीय रुपये में दी है, संशोधित किया गया है, तदनुसार, परिपत्र के मूल और संशोधित प्रासंगिक पैरा यहां विस्तृत हैं।

3.1 मूल पैरा 2 (ट)

भारतीय रुपए में निर्यात आय की वसूली/बोध: आरबीआई मास्टर परिपत्र संख्या 14 / 2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 (05 नवंबर, 2015 को अद्यतन) के पैरा- क (v)

भाग- I पर ध्यान दिया जाये, जिसमें कहा गया है कि “विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत बनाए गए नियमों, विनियमों, अधिसूचनों और निर्देशों के संदर्भ में भारतीय रुपए में निर्यात अनुबंधों के चालान पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा, विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के पैरा 2.52 के संदर्भ में, सभी निर्यात अनुबंधों और चालानों को या तो स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा या भारतीय रुपये में निगमित किया जा सकेगा, किन्तु आय की वसूली स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में की जायेगी। हालांकि, विशिष्ट निर्यात के लिए निर्यात आय की वसूली रुपये में की जा सकती है, बशर्ते कि यह एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) या नेपाल या भूटान के सदस्य देश के अलावा किसी भी देश में स्थित एक अनिवासी बैंक में स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय वॉस्ट्रो खाते के माध्यम से हो।

तदनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि भारत नेपाल या भूटान या विशेष आर्थिक क्षेत्र डेवलपर या विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई से बाहर के देशों को माल की आपूर्ति के लिए एल्यूटी की स्वीकृति अनुमन्य होगी चाहे जो भारतीय मुद्रा या परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में जहां तक वह RBI दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकार्य होगी। यह भी ध्यान दिया जाए कि LUT के तहत SEZ डेवलपर या SEZ इकाई को सेवाओं की आपूर्ति भी उसी तर्ज पर अनुमन्य होगी। हालांकि, नेपाल या भूटान को सेवाओं की आपूर्ति को, सेवाओं के निर्यात के रूप में माना जाएगा, यदि ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाता है।

3.2 संशोधित पैरा 2 (ट)

भारतीय रुपए में निर्यात आय का बोध: आरबीआई मास्टर परिपत्र संख्या 14 / 2015-16 दिनांक 01जुलाई, 2015 (05 नवंबर, 2015 को अद्यतन) के पैरा - A (v) भाग- I पर ध्यान दें, जिसमें कहा गया है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत बनाए गए नियमों, विनियमों, अधिसूचनों और निर्देशों के संदर्भ में भारतीय रुपए में निर्यात अनुबंधों के चालान पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा, विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के पैरा 2.52 के संदर्भ में, सभी निर्यात अनुबंधों और चालानों को या तो स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा या भारतीय रुपये में निगमित किया जाएगा, लेकिन निर्यात आय का बोध स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में ही किया जा सकेगा। हालांकि, विशिष्ट निर्यात रुपये में किया जा सकेगा, बशर्ते कि यह एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) या नेपाल या भूटान के सदस्य देश के अलावा किसी भी देश में स्थित एक अनिवासी बैंक के एक स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय वॉस्ट्रो खाते के माध्यम से हो। इसके अलावा, आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (6) में संशोधन के लिए ध्यान आकर्षित किया गया है, वहां INR में सेवाओं के निर्यात आय का बोध भारतीय रुपयों में किया जा सकेगा, जहां भी आरबीआई द्वारा अनुमति दी जाती है।

तदनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि भारत से बाहर देशों को या विशेष आर्थिक क्षेत्र डेवलपर या विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई को माल या सेवाओं की आपूर्ति के लिए एल्यूटी की स्वीकृत अनुमन्य होगी चाहे वह भारतीय मुद्रा या परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में हो, जहां तक यह RBI दिशानिर्देशों के अनुसार है।

4 परिपत्र संख्या 38/12/2018 दिनांक 26.03.2018

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 143, में सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 29 के तहत किए गए संशोधन के अनुसार परिपत्र में संशोधन किया गया है, जो आयुक्त को छुटपुट कार्य करने वालों से इनपुट और पूंजीगत सामान की वापसी की अवधि बढ़ाने के लिए सशक्त बनाता है। इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9 (4) में, सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 4 के तहत रिवर्स चार्ज के संबंध में संशोधन किए गए, जिससे परिपत्र में भी कुछ संशोधन किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, परिपत्र के मूल और संशोधित प्रासंगिक पैरा यहां विस्तृत हैं।

4.1 मूल पैरा 2.

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड (68) के अनुसार इसके बाद, छुटपुट कार्य की समाप्ती होने पर (अंतिम छुटपुट कार्यकर्ता द्वारा), प्रिंसिपल या तो अपने व्यवसाय के स्थान पर माल वापस लाएगा या इनपुट के मामले में एक साल के भीतर या पूंजीगत सामान के विषय में 3 वर्षों के भीतर (मोल्ड और डाईस, जिग्स और फिग्सचर्स या उपकरण को छोड़कर) उसकी आपूर्ति (निर्यात सहित) सीधे छुटपुट कार्यकर्ता के व्यवसाय/परिसर के स्थान से करेगा।

4.2 संशोधित पैरा 2.

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड (68) के अनुसार, " छुटपुट कार्य का काम" का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति के सामान पर किए गए उपचार या प्रक्रिया है और " छुटपुट कार्यकर्ता" की अभिव्यक्ति इसके अनुसार मानी जाएगी। वह पंजीकृत व्यक्ति जिसका माल (इनपुट्स या कैपिटल गुड्स) पर छुटपुट कार्य के लिए किया जाए, उसे सीजीएसटी एक्ट की धारा 143 के प्रयोजनों के लिए "प्रिंसिपल" कहा जाता है। उक्त धारा जो छुटपुट कार्य के काम से संबंधित प्रावधानों को समाहित करती है, यह प्रावधान करती है कि पंजीकृत प्रिंसिपल, कर के भुगतान के बिना, छुटपुट कार्य हेतु एक छुटपुट कार्यकर्ता को इनपुट या पूंजीगत सामान भेज सकते हैं और यदि आवश्यक हो, तो बाद में वहां से दूसरे छुटपुट कार्यकर्ता के पास उक्त सामान भेज सकते हैं और ऐसे ही आगे जारी रख सकते हैं। इसके बाद, छुटपुट कार्य का कार्यकाल समाप्त होने पर निर्दिष्ट समय जैसे कि धारा 143 के तहत निर्दिष्ट होंगे (अंतिम छुटपुट कार्यकर्ता द्वारा), प्रिंसिपल या तो सामान को अपने व्यापार या आपूर्ति के स्थान पर वापस लाएगा। अथवा इनपुट के मामले में एक साल के भीतर या पूंजीगत सामान के विषय में 3 वर्षों के भीतर (मोल्ड और डाईस, जिग्स और फिग्सचर्स या उपकरण को छोड़कर) उसकी आपूर्ति (निर्यात सहित) सीधे छुटपुट कार्यकर्ता के व्यवसाय/परिसर के स्थान पर करेगा।

4.3 मूल पैरा 3.

यह ध्यान दिया जाए..... इसके अलावा, यदि इनपुट्स / पूंजीगत सामानों की वापसी या आगे की आपूर्ति करने के लिए एक वर्ष / तीन वर्ष की समय सीमा का पालन नहीं किया जाता है, तो प्रिंसिपल द्वारा छुटपुट कार्य के लिए सामान भेजने की गतिविधि के आपूर्ति उस समय से मानी जाएगी, जब से उक्त इनपुट/पूंजीगत सामान उसके द्वारा भेजे गए थे। इस प्रकार, अनिवार्य रूप से, छुटपुट कार्य के काम के लिए माल भेजना इस तरह की आपूर्ति नहीं है, लेकिन यह आपूर्ति का रूप प्राप्त कर लेता है जब केवल छुटपुट कार्य के लिए भेजे गए इनपुट/पूंजीगत सामान को न तो प्रिंसिपल वापस प्राप्त करता है और न ही प्रिंसिपल द्वारा एक/तीन साल के भीतर छुटपुट कार्यकर्ता के व्यवसाय/परिसर से आपूर्ति करता है -----भार प्रिंसिपल पर होता है।

4.4 संशोधित पैरा 3.

यह ध्यान दिया जा सकता है कि छुटपुट कार्य के काम के लिए भेजे गए इनपुट और पूंजीगत सामान की उचित हिसाब-किताब की जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होती है। इसके अलावा, यदि धारा 143 के तहत निर्दिष्ट समय सीमा में इनपुट / कैपिटल गुड्स को वापस लाने या आगे की आपूर्ति का पालन नहीं किया जाता है, ऐसी स्थिति में छुटपुट कार्य इनपुट / कैपिटल गुड्स की आपूर्ति तब से मानी जाएगी जब से प्रिंसिपल द्वारा छुटपुट कार्य के लिए सामान भेजा गया है। इस प्रकार, अनिवार्य रूप से, छुटपुट कार्य के काम के लिए माल भेजना आपूर्ति नहीं है, लेकिन यह आपूर्ति का रूप केवल तब प्राप्त कर लेता है जब छुटपुट कार्य के काम के लिए भेजे गए इनपुट / पूंजीगत सामान को न तो प्रिंसिपल वापस लेता है और न ही (धारा 143 के तहत) निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर छुटपुट कार्यकर्ता के व्यवसाय / परिसर से भेजा जाता है या प्रिंसिपल द्वारा आगे आपूर्ति की जाती है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि छुटपुट कार्य के काम के लिए सामान भेजने के साथ-साथ उन्हें वापस लाने या आपूर्ति करने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल पर डाली गई है।

4.5 मूल पैरा 6.1

संदेह उठाया गया है -----यह ध्यान दिया जाए कि यदि प्रिंसिपल और नौकरीकर्ता एक ही राज्य में स्थित हैं, छुटपुट कार्यकर्ता का पंजीकरण केवल तभी आवश्यक है जब उसका कुल कारोबार, की गणना अखिल भारत के एक वित्तीय वर्ष में निर्दिष्ट थ्रेशहोल्ड सीमा (यानी 20 लाख रु या 10 लाख रु विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) से अधिक हो। हालांकि, सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति का कुल कारोबार एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रु से अधिक नहीं है। विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 10 लाख जम्मू-कश्मीर को छोड़कर कर योग्य वित्तीय वर्ष की अधिसूचना संख्या 10/2017-एकीकृत कर दिनांक 13.10.2017 के तहत पंजीकरण से छूट दी गई है।

4.6 संशोधित पैरा 6.1

छुटपुट कार्यकर्ताओं श्रमिकों द्वारा पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में

संदेह उठाया गया है जब वे उसी राज्य में स्थित होते हैं जहां प्रिंसिपल स्थित होता है या जब वे प्रिंसिपल से अलग राज्य में स्थित होते हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रिंसिपल और छुटपुट कार्यकर्ता दोनों एक ही राज्य में स्थित होने की स्थिति हो तो छुटपुट कार्यकर्ता का पंजीकरण तभी आवश्यक होगा यदि अखिल भारतीय आधार पर गणना के अनुसार जब एक वित्तीय वर्ष में उसका कुल कारोबार, उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (i) सपठित उक्त अनुभाग के स्पष्टीकरण (iii) में निर्दिष्ट थ्रेशहोल्ड सीमा से अधिक हो जाती है। जहां प्रिंसिपल और नौकरीकर्ता अलग-अलग राज्यों में स्थित हैं, सीजीएसटी एक्ट की धारा 24 की उपधारा (i) के अनुसार रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, जो किसी भी अंतर राज्य आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ता के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करता है। हालांकि, कर योग्य सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति के कुल कारोबार के मामले में पंजीकरण से छूट दी गई है, जो अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) सपठित उक्त अनुभाग के खंड (iii) में एक वित्तीय वर्ष में निर्दिष्ट थ्रेशहोल्ड सीमा से अधिक नहीं है, यह अधिसूचना संख्या 10/2017- एकीकृत कर दिनांक 13.10.2017 को जिसे अधिसूचना संख्या 3/2019- एकीकृत कर, दिनांक 29.01.19 के तहत संशोधित किया गया है।

अतः यह स्पष्ट किया गया है कि एक छुटपुट कार्यकर्ता को केवल उन मामलों में पंजीकरण करवाने की आवश्यकता होती है जहां अखिल भारतीय आधार पर उसका कुल कारोबार एक वित्तीय वर्ष में थ्रेशहोल्ड सीमा से अधिक हो। प्रिंसिपल और नौकरीकर्ता एक ही राज्य या विभिन्न राज्यों में स्थित हैं इसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

4.7 मूल पैरा 9.4. (i)

(i) छुटपुट कार्य सेवाओं की आपूर्ति: नौकरी करने वाला,----- इस तरह की आपूर्ति के मूल्य में सम्मिलित नहीं है। तदनुसार, यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे सांचों और डाईस, जिग्स और फिक्स्चर या औजारों के मूल्य को छुटपुट कार्यकर्ता की सेवाओं के मूल्य में शामिल नहीं किया जा सकता है बशर्ते कि इसके मूल्य को छुटपुट कार्यकर्ता द्वारा ऐसी सेवाओं की आपूर्ति के लिए मूल्य में फैक्टर किया गया हो। यह ध्यान दिया जाए कि यदि छुटपुट कार्यकर्ता पंजीकृत नहीं है, तो जीएसटी, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 (4) में शामिल प्रावधानों के अनुसार रिवर्स चार्ज के आधार पर प्रिंसिपल द्वारा जीएसटी देय होगा। हालांकि, उक्त प्रावधान को फिलहाल रोककर रखा गया है।

4.8 संशोधित पैरा: 9.4. (i)

(i) छुटपुट कार्य सेवाओं की आपूर्ति: छुटपुट कार्यकर्ता, सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में, यदि वह पंजीकृत है, तो जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। वह सीजीएसटी अधिनियम की धारा 31 सपठित धारा 13 के संदर्भ में निर्धारित सेवाओं की आपूर्ति के समय एक चालान जारी करेगा। सेवाओं का मूल्य सीजीएसटी अधिनियम की धारा 15 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा और इसमें न केवल सेवा शुल्क लगाया जाएगा, अपितु छुटपुट कार्य सेवाओं की आपूर्ति के लिए प्रिंसिपल से वसूल किए जाने वाले उसके

द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी सामान या सेवाओं का मूल्य भी सम्मिलित होगा। यह संदेह उठाया गया है कि क्या मोल्ड और डाईस, जिग्स और फिक्स्चर या उपकरण जो कि प्रिंसिपल द्वारा छुटपुट कार्यकर्ता को प्रदान किए गए हैं और बाद में छुटपुट कार्य की सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोग किए गए हैं, उन्हें छुटपुट कार्य की सेवाएं के मूल्य में सम्मिलित किया जाएगा ? इस संबंध में, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 15 पर ध्यान दिया जाए, जो जीएसटी के तहत किसी भी आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण करने के लिए सिद्धांतों का निर्धारण करता है। महत्वपूर्ण रूप से, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ख) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई राशि जो आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता द्वारा देय है, लेकिन जो प्राप्तकर्ता द्वारा प्रदान किया गया है, भी मूल्यांकन का भाग होगा। , बशर्ते वह ऐसी आपूर्ति के लिए मूल्य में सम्मिलित नहीं किया गया हो। तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे सांचों और डाईस, जिग्स और फिक्स्चर या औजारों के मूल्य को छुटपुट कार्य की सेवाओं के मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है बशर्ते कि इसके मूल्य को छुटपुट कार्यकर्ता द्वारा ऐसी सेवाओं की आपूर्ति के मूल्य में फैक्टर किया गया हो।

4.9 मूल पारा 9.6

इस प्रकार, यदि यदि इस तरह के सामानों को छुटपुट कार्यकर्ता वाले द्वारा निर्धारित समयावधि के बाद वापस किया जाता है, तो उसे छुटपुट कार्यकर्ता द्वारा प्रिंसिपल को आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और छुटपुट कार्यकर्ता यदि उसका पंजीकरण हुआ है तो वह सीजीएसटी अधिनियम में निहित प्रावधानों सपठित नियमों के तहत आवश्यक हो तो वह जीएसटी के भुगतान का उत्तरदायी होगा। यह ध्यान दिया जाए कि यदि छुटपुट कार्यकर्ता पंजीकृत नहीं है, तो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 (4) के प्रावधानों के संदर्भ में रिवर्स चार्ज के आधार पर प्रिंसिपल द्वारा जीएसटी देय होगा। हालाँकि, उक्त प्रावधान को अभी निलम्बित रखा गया है। इसके अलावा, जहाँ तक मोल्ड्स और डाइज, जिग्स और फिक्स्चर, या टूल का संबंध है। छुटपुट कार्यकर्ता के व्यवसाय / परिसर से सामानों के वापस लौटने या सामान की वापसी या आपूर्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

4.10 संशोधित पैरा 9.6

इस प्रकार, यदि इनपुट या पूंजीगत सामान को निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर छुटपुट कार्यकर्ता के व्यवसाय / परिसर में स्थान से न तो लौटाया जाता है और न ही आपूर्ति की जाती है, तो प्रिंसिपल उसी की चालान जारी करेगा और उसी माह के लिए उसकी आवरण में ऐसी आपूर्ति की घोषणा करेगा जिसमें एक वर्ष / तीन वर्ष की समयावधि समाप्त हो गई है। आपूर्ति की तारीख, वह तारीख होगी जिस पर शुरू में इस तरह के इनपुट या पूंजीगत सामान को छुटपुट कार्यकर्ता को भेजा गया था और मध्यांतर की अवधि के लिए ब्याज भी कर पर देय होगा। यदि नियत समय अवधि के बाद छुटपुट कार्यकर्ता द्वारा इस तरह का माल वापस कर दिया जाता है, तो उसे छुटपुट कार्यकर्ता द्वारा प्रिंसिपल को

सीजीएसटी अधिनियम में निहित प्रावधान सपठित नियमों के अनुसार आपूर्ति माना जाएगा और यदि छुटपुट कार्यकर्त्ता पंजीकृत हैं तो वह जीएसटी का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, जहाँ तक मोल्ड्स और डाइज, जिग्स और फिक्स्चर, या टूल का संबंध है, छुटपुट कार्यकर्त्ता के व्यवसाय / परिसर से सामानों के वापस लौटने या सामान की आपूर्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

5 परिपत्र संख्या 41/15/2018 दिनांक 13.04.2018

यह परिपत्र सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129 में सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 27 के तहत किए गए संशोधन के मद्देनजर मालिक / ट्रांसपोर्टर को जब्त माल के लिए कर / जुर्माना का भुगतान करने के लिए 14 दिनों की अनुमति देता है। तदनुसार, परिपत्र के मूल और संशोधित प्रासंगिक पैरा यहां विस्तृत हैं।

5.1 मूल पैरा 2 (ट)

FORM GST MOV-06 में जब्ती के आदेश की तारीख से सात दिनों के भीतर प्रस्तावित कर और जुर्माने का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 130 के तहत कार्रवाई के लिए FORM GST MOV-10 में नोटिस देकर माल और वाहन की जब्ती और जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

5.2 संशोधित पैरा 2 (ट)

FORM GST MOV-06 में जब्ती के आदेश की तारीख से चौदह दिनों के भीतर प्रस्तावित कर और जुर्माने का भुगतान नहीं किये जाने पर सीजीएसटी अधिनियम की धारा 130 के तहत कार्रवाई के लिए FORM GST MOV-10 में नोटिस देकर माल और वाहन की जब्ती और जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

5.3 इसके अलावा FORM GST MOV-08 और FORM GST MOV-09, परिपत्र में अनुबंध को निम्न अनुसार संशोधित गए हैं:

फार्म जीएसटी एमओवी -08 (पैरा 4)

और यदि उचित अधिकारी द्वारा मांगे गए सभी करों, ब्याज, अर्थदण्ड, जुर्माना और अन्य वैध शुल्क उक्त उचित अधिकारी द्वारा लिखित में किए गए जब्ती के आदेश की तिथि के चौदह दिनों के भीतर चुकाए दिये गये हों, तो यह दायित्व शून्य हो जाएगा।

फार्म जीएसटी एमओवी -09 (पैरा 10)

आपको यह निर्देश दिया गया है कि तत्काल भुगतान / जब्ती के आदेश जो FORM GST MOV-06 के माध्यम से किया गया है के जारी करने की तारीख चौदह दिनों के भीतर किया जाए तो इसका भुगतान ऐसा न किया जाने पर केंद्र / राज्य माल और सेवा अधिनियम की धारा 130 के तहत / संघ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21 या एकीकृत माल और सेवा अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्यवाई शुरू कर दी जाएगी।

6. परिपत्र संख्या 58/32/2018 दिनांक 04.09.2018

वसूली के तरीकों को कारगर बनाने के लिए इस परिपत्र को संशोधित किया गया है। तदनुसार, परिपत्र के मूल और संशोधित प्रासंगिक पैरा यहां विस्तृत हैं।

6.1 मूल पैरा 3.

वर्तमान में, साधारण पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में, इस दायित्व को दर्ज करने की कार्यक्षमता उपलब्ध नहीं है। इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि एक वैकल्पिक विधि के रूप में, करदाता ने मौजूदा कानून के तहत गलत तरीके से प्राप्त CENVAT क्रेडिट और ट्रांजिशनल क्रेडिट को वापस FORM GSTR-3B के तालिका 4 (ख) (2) के माध्यम से वापस कर सकते हैं। ऐसे सभी उत्क्रमणों पर लागू ब्याज और जुर्माना लगेगा जिसका भुगतान फॉर्म GST-3B के तालिका 6.1 के कॉलम 9 में प्रविष्टि के माध्यम से किया जाएगा।

6.2 संशोधित पैरा 3

यह ध्यान दिया जा सकता है कि करदाता या तो FORM GST DRC-03 में स्वैच्छिक रूप से या FORM GST DRC-07 के तहत अपलोड किए गए आदेश से और उक्त आदेश के समक्ष FORM GST DRC-03 में भुगतान करके ऐसी सभी देनदारियों से मुक्त हो सकता है, आगे यह स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा कानून के तहत गलत तरीके से प्राप्त CENVAT क्रेडिट को या ट्रांजिशनल क्रेडिट को वापस करने का वैकल्पिक तरीका जो FORM GSTR-3B की तालिका 4 (B) (2) के माध्यम से था, अब करदाताओं के लिए उपलब्ध नहीं होगा। ऐसी सभी राशियों के संबंध में ब्याज और जुर्माना लागू होगा, जिनका भुगतान भी FORM GST DRC-03 में भी किया जा सकता है।

7. परिपत्र संख्या 69/43/2018 दिनांक 26.10.2018

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 29 में सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 14 के तहत किए गए संशोधन को देखते हुए पंजीकरण को निलंबित करने की अनुमति देने के लिए परिपत्र को संशोधित किया गया है। तदनुसार, परिपत्र के मूल और संशोधित प्रासंगिक पैरा यहां विस्तृत हैं।

7.1 मूल पैरा 11.

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 में पंजीकरण के "निलंबन" को प्रदान करने के लिए सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधन किया गया है। उक्त संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रद्द करने से संबंधित कार्यवाही की पेंडेंसी के दौरान जीएसटी अधिनियम के तहत एक करदाता को नियमित अनुपालन, रिटर्न फाइल करना इत्यादि, से मुक्त किया जा सके। हालांकि सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया है, यह क्षेत्र कार्यालयों के लिए विवेकपूर्ण होगा कि ऐसे करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल न करने के लिए नोटिस जारी न करें, जिन्होंने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 के तहत

पहले ही पंजीकरण रद्द करने के लिए एक आवेदन किया है। हालांकि, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 45 के तहत अंतिम रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता अपरिवर्तित है।

7.2 संशोधित पैरा 11

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 में पंजीकरण के "निलंबन" को प्रदान करने के लिए सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधन किया गया है। उक्त संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रद्द करने से संबंधित कार्यवाही की पेंडेंसी के दौरान जीएसटी अधिनियम के तहत एक करदाता को नियमित अनुपालन, रिटर्न फाइल करना इत्यादि, से मुक्त किया जा सके। तदनुसार, क्षेत्र कार्यालयों ऐसे करदाताओं के लिए गैर-दाखिल रिटर्न दाखिल करने के लिए नोटिस जारी न करें, जिन्होंने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 के तहत पहले ही पंजीकरण रद्द करने के लिए एक आवेदन किया है। हालांकि, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 45 के तहत अंतिम रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता अपरिवर्तित है।

8. यह अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र की सामग्री के प्रचार के लिए उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जा सकते हैं।

9. इस परिपत्र के कार्यान्वयन में कठिनाई, यदि कोई हो, तो कृपया बोर्ड के ध्यान में लाया जा सकता है। हिंदी संस्करण का अनुसरण किया जाए।

(उपेंद्र गुप्ता)
प्रधान आयुक्त (जीएसटी)